न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2012/00039

1. मूर्ति मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान बरनापाडा वार्ड रेतवाली कोटा जरिये व्यवस्थापक नेक्स्ट फ्रेण्ड एवं पुजारी कान्तिचन्द आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी बरनापाडा रेतवाली कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. शिवश वितराय आत्मज स्वर्गीय श्री कान्तिचन्द जी व्यास जाति ब्राह्मण निवासी बरनापाडा वार्ड रेतवाली कोटा (मृतक नाम विलोपित) ।
   1/2. नवीनचन्द आत्मज स्वर्गीय श्री कान्तिचन्द जी व्यास जाति ब्राह्मण निवासी बरनापाडा वार्ड रेतवाली कोटा ।
   1/3. सुभाष चन्द आत्मज स्वर्गीय श्री कान्तिचन्द जी व्यास जाति ब्राह्मण निवासी बनरापाडा वार्ड रेतवाली कोटा ।
   1/4. रमेश चन्द आत्मज स्वर्गीय श्री कान्तिचन्द जी व्यास जाति ब्राह्मण निवासी बनापाडा वार्ड रेतवाली कोटा (मृतक का नाम विलोपित) ।
   1/5. अनिल कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री कान्तिचन्द जी व्यास जाति ब्राह्मण निवीस बरनापाडा वार्ड रेतवाली कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय श्री रामचन्द्र आत्मज स्वर्गीय श्री श्योलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   लटूर लाल आत्मज श्री हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.06.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 180 (1) (बी) के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी मूर्ति मंदिर गोपाल जी के खाते में ग्राम नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 143 की 84 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 की 15 बिस्वा कुल 85 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । वादी कानूनन नाबालिग है और कान्तिचन्द व्यास वादी की सम्पत्ति की देखभाल करता है एवं मंदिर की सेवा पूजा की व्यवस्था करता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी कान्तिचन्द व्यास का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज है । वादग्रस्त आराजी वादी ने प्रतिवादी को मुनाफे पर काश्त पर दी और प्रतिवादी लगान के अलावा 375/– रूपये प्रतिवर्ष मुनाफा पर काश्त कर रहा था । वादी उक्त भूमि पर खुदकाश्त करना चाहते हैं जब वादी के संरक्षक ने दिनांक 25.06.1978 को प्रतिवादी को मुनाफा जमा कराने आया तब उक्त भूमि पर कब्जा संभलाने के लिए कहा परन्तु उनके द्वारा कब्जा वादी के संरक्षक को नहीं संभलाया गया । इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर वादी को दखल दिलवाने व नियमानुसार हर्जा दिलवाये जाने हेतु वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारित की जावे ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.1987 के द्वारा दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.1987 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.1996 के द्वारा प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.1996 के खिलाफ वादी ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की और प्रतिवादी के द्वारा कॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.12.1998 के द्वारा अपील अपीलान्ट वादी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन खारिज कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.1996 को सही मानते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2008 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2008 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मूर्ति मंदिर गोपाल जी की ओर से यह दावा जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड व्यवस्थापक पुजारी कान्तिचन्द व्यास प्रस्तुत किया था । वादी मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है । अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य को कन्सीडर किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है । वादी अपीलान्ट यह साबित करने में सफल रहा है वह उक्त मंदिर का पुजारी है । राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती से संवत् 1965 के बाद की जमाबन्दी में मूर्ति मंदिर विराजमान खेडा रसूलपुर सहवन से दर्ज हो गया था जो बाद में बदस्तूर रहा । मूर्ति मंदिर गोपाल जी विराजमान बरनापाडा वार्ड रेतवाली कोटा में स्थित है । कान्तिचन्द व्यास के प्राकृतिक पिता श्री कन्हैया लाल जी थे । कन्हैया लाल जी का पहले स्वर्गवास हो गया था । कान्तिचन्द जी व्यास कन्हैया लाल जी के पुत्र होने से उत्तराधिकारी थे । प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो काबिल बेदखली है । उक्त भूमि मूर्ति मंदिर गोपाल जी के खातेदारी में होना प्रमाणित है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होना मानने में विधिक त्रुटि की है । पूर्व वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया गया था बल्कि अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था । इस कारण रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । जागीर कमीश्नर द्वारा उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त में घोषित करवाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स रिजम्पश्न ऑफ जागीर एक्ट, 1952 के प्रभावशील होने के समय उक्त भूमि वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में थी जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से होती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर गोपाल जी की है और नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से कान्तिचन्द व्यास ने यह दावा पेश किया था । दस्तावेजात जो कि परीक्षण न्यायालय में पेश किये गये उनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कान्तिचन्द व्यास मंदिर के पुजारी एवं व्यवस्थापक थे । मौखिक साक्ष्य भी पेश की गई थी जिसको परीक्षण न्यायालय ने नजरअन्दाज किया है । वादग्रस्त आराजी मुनाफा काश्त पर प्रतिवादी के पिता रामचन्द्र को दी गई थी । तहरीर प्रदर्श– 2 कबूलियत मुनाफा एवं रामचन्द्र के बयान डीडब्ल्यू–1 से भी यह सिद्ध होता है कि आराजी उनको मुनाफे पर दी गई थी । रजिस्टर में इन्द्राज भी किया गया था जिसमें इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रतिवादी रामचन्द्र ने आराजी मंदिर मूर्ति के पुजारी कान्ति चन्द व्यास से 375/– रूपये सलाना के हिसाब से मुनाफा काश्त हेतु ली थी । मंदिर बरनापाडा रेतवाली में स्थित है । मंदिर काफी पुराना है शिखरबन्द है । मंदिर सार्वजनिक मंदिर है और देवस्थान विभाग से सालाना एन्यूटी मिलती है । राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती से संवत् 1965 की जमाबन्दी के बाद की जमाबन्दी में मंदिर मूर्ति विराजमान खेडारसूलपुर सहवन से दर्ज हो गया था जो बाद में भी चलता रहा । देवस्थान विभाग के द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं वे प्रदर्श– 24 लगायत 30 के रूप में संलग्न हैं जिसमें मूर्ति मंदिर गोपाल जी विराजमान बरनापाडा रेतवाली अंकित है । इसके बाबत् तनकी नं0 01 का निर्णय वादी अपीलान्ट के खिलाफ किया है । कान्ति चन्द के प्राकृतिक पिता कन्हैया लाल थे । भवानी लाल कान्ति चन्द के ताऊजी थे । भवानीलाल के एक पुत्र था जिसकी मृत्यु उनके जीवनकाल में हो गई थी । भवानी लाल के एकमात्र उत्तराधिकारी कान्ति चन्द व्यास है । कन्हैया लाल की मृत्यु के समय उनके पुत्र नाबालिग थे उनकी परवरिश भवानी लाल के

द्वारा की गई थी । वल्दीयत के बाबत् आपत्ति प्रतिवादी ने जवाबदावे में नहीं की है । तनकीयात का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत किया है । पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 31.08.1987 को निरस्त हो चुका है इसको आधार मानकर तनकी नम्बर 05 का निर्णय वादी के खिलाफ करने में त्रुटि की है । वादी अपीलान्ट ने आराजी का कब्जा संभलाने हेतु प्रतिवादी को दिनांक 25.06.1978 को कहा उस दिन प्रतिवादी की हैसियत अतिक्रमी की हो गई और वो काबिल बेदखली है । पूर्व वाद जो कि कान्ति चन्द की ओर से पेश किया गया था उसका निर्णय गुणावगुण पर नहीं हुआ है वरन् अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है । पूर्व वादी मंदिर की ओर से पेश नहीं किया गया था इस कारण रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । जगीर कमीश्नर के द्वारा आराजी को मूर्ति मंदिर की खुदकाश्त में घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है । अतिक्रमी से कब्जा प्राप्ति का दावा है । माफीदार, जागीरदार और सरकार के मध्य का विवाद नहीं है । अधीनस्थ न्यायलय ने प्रतिवादी को आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं माना है । ऐसी स्थिति में उसकी हैसियत अतिक्रमी की है इसके बावजूद दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अन्य व्यक्तियों के कब्जे के बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही कोई जवाबदावे में आपत्ति की गई है । कान्तिचन्द की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मंदिर की सेवा–पूजा करते हैं । अगर अधीनस्थ न्यायालय को मंदिर कहॉ स्थित है इस बाबत् संशय था तो कमीश्नर से रिपोर्ट तलब की जा सकती थी । मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं और मूर्ति की भूमि मूर्ति के खुदकाश्त की मानी जाती है । जैली का कब्जा परमिजिव कब्जा माना जाता है । खसरा गिरदावरी में कान्तिचन्द का कब्जा दर्ज किया गया है और रामचन्द्र को पांतीदार लिखा गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 710 उद्वरत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा यह होल्ड किया गया है कि जैली को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और यह कथन किया है कि इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पृथ्वीलाल बनाम राजस्व मण्डल में अफेल्ड किया गया है । आरआरटी 2016 (2) पेज 935 उद्वरत की जिसमें होल्ड किया गया है कि मंदिर की आराजी पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । आरआरटी 2001 (2) पेज 917, डीएनजे 1999 पेज 674, आरआरडी 2003 पेज 513, आरआरडी 1997 पेज 158, आरआरडी 1993 पेज 319, आरआरडी 1989 पेज 106, आरआरडी 1979 पेज 107, आरआरटी 2001 (1) पेज 244, आरआरटी 2008 (1) पेज 151, आरबीजे (5) 1998 पेज 274, आरबीजे (5) 1998 पेज 290, एआईआर 1960 (एससी) पेज 100, डब्ल्यूएलएन (यूसी) पेज 42, आरआरटी 2002 (1) पेज 82, आरआरडी 1996 पेज 546, आरआरडी 1996 पेज 509, आरआरडी 1998 पेज 405, एआईआर 1986 इलाहबाद पेज 169 उद्वरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि कान्ति चन्द व्यास ने मूर्ति मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से यह दावा पेश किया है जिसका उनको यह अधिकार नहीं है । पूर्व में कान्ति चन्द ने मूर्ति मंदिर के स्थान पर अपनी ओर से पेश किया था । चूँकि वादग्रस्त आराजी को अपनी मानते हुए दावा किया गया था इस कारण वो मूर्ति मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड नहीं हो सकते । न्यायालय को सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नेक्स्ट फ्रेण्ड नियुक्त कर दावे का निर्णय करना चाहिए था । कान्ति चन्द व्यास की मृत्यु हो चुकी है । पुजारी की मृत्यु जो जाने पर उनके कायममुकामान नहीं बनाये जा सकते । मंदिर कहॉ है यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया है । जमाबन्दी में खेडारसूलपुर में मंदिर स्थित होना बताया गया है कोटा का इसमें कोई हवाला नहीं है । कान्तिचन्द के पिता का कन्हैया लाल बताया गया है

और भंवर लाल का भी बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । जब माफी का रिजम्पशन हुआ उस समय यह भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी । ऐसी स्थिति में इस आराजी को काश्त करने वाले की खातेदारी की आराजी माना जावेगा । जो आराजी जागीर के समय मूर्ति मंदिर के खाते में माफीदार के रूप में दर्ज थी और पुजारी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उसको काश्त कर रहा था तो जागीर एक्ट 1952 के अनुसार वो आराजी सरकार में निहित होगी । अपीलान्ट को कोई अधिकार इस आराजी में प्राप्त नहीं है । इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आरआरटी 2012 (1) पेज 868 उद्वरत किया । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलआर 1983 पेज 973 उद्वरत भी की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय के किसी आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन प्रदान किया हुआ है तो भी माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय का प्रभाव समाप्त नहीं होगा । इसके अलावा आरएलआर 1990 पेज 161, 2017 (3) सीजे (सिविल) पेज 1650, सीजे (सिविल) (एससी) 2018 (1) पेज 44, डीएनजे 2013 (3) पेज 1266, एआईआर 1967 पेज 436 उद्वरत की एवं कथन किया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

12. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने रिबटल में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा अपने निर्णय में दिनांक 13.12.1998 में कान्ति चन्द व्यास के द्वारा नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से पेश किये गये दावे को विधिक माना है । कानून की जानकारी के अभाव में पूर्व में दावा कान्ति चन्द के द्वारा पेश किया गया है और बाद में उसे विड्रो कर लिया गया था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में मंदिर मूर्ति की ओर से यह दावा कान्ति चन्द व्यास ने अन्तर्गत धारा 180 (1) (बी) पेश किया गया है । पूर्व में इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.081987 को दावा वादी खारिज किया गया है जिसको इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.12.1996 को रिमाण्ड किया गया । माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.12.1998 से इस न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा है ।

14. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2030–35 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी के खातेदारी श्री गोपाल जी पुजारी कान्ति चन्द वल्द कन्हैया लाल और उप कृषक रामचन्द्र दर्ज है । प्रदर्श– 2 एक तहरीर है जो कि रामचन्द्र के द्वारा निष्पादित की गई है उसमें यह अंकित है कि आराजी माफी मंदिर गोपाल जी की राज व्यासकान्ति चन्द से काश्त हेतु ली है । प्रदर्श–11 नकल जमाबन्दी संवत् 1965 है जिसमें गोपाल जी विराजमान कोटा अंकित है । रजिस्टर की नकल प्रदर्श– ए–3, ए–4, ए–5, ए–6, ए–7, ए–8, ए–9 हैं । प्रदर्श – 12 नकल जमाबन्दी संवत् 1965 संलग्न है जिसमें माफी मंदिर विराजमान कोटा व कब्जा रूगनाथ बेटा भवानी लाल, कन्हैया लाल बेटा देवीलाल अंकित है । प्रदर्श– 13 नकल जमाबन्दी संवत् 1973 संलग्न है । प्रदर्श– 14 नकल जमाबन्दी संवत् 2002–04 है जिसमें माफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान खेडारसूलपुर वकब्जा व्यास कान्ति चन्द बेटा कन्हैया लाल दर्ज है। प्रदर्श– 15 रजिस्टर की प्रमाणित प्रति । प्रदर्श– 16 नकल जमाबन्दी संवत् 2010–14 संलग्न है । प्रदर्श –17 नकल जमाबन्दी संवत् 2015–24 जिसमें कॉलम संख्या 03 में माफी मंदिर विराजमान श्री गोपाल जी स्थान खेडारसूलपुर व्यास कान्ति चन्द वल्द कन्हैया

लाल का नाम कॉलम नम्बर 3 और कॉलम संख्या 5 में रामचन्द्र वल्द श्योलाल मीणा अंकित है । प्रदर्श– 18 भू–प्रबन्ध विभाग की नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 है । प्रदर्श– 19 खसरा नम्बर गिरदावरी की नकल है जिसमें आराजी माफी मंदिर श्री गोपाल जी व्यास कान्तिचन्द और जैली रामचन्द्र दर्ज है कॉलम संख्या 18 में पांतीदार व्यास कान्ति चन्द दर्ज है । प्रदर्श– 20 खसरा गिरदावरी की नकल है । प्रदर्श– 21 वार्षिकी भुगतान का प्रमाण पत्र है । प्रदर्श– 22 वार्षिकी भुगतान के बाबत् जागीर कमीश्नर का आदेश है । प्रदर्श– 23 आयुक्त देवस्थान विभाग के आदेश की प्रति है । प्रदर्श– 25 लगायत 28 कान्ति चन्द के प्रार्थना पत्र जो कि देवस्थान विभाग के निरीक्षक को दिया गया है और प्रदर्श – 29 एवं 30 देवस्थान विभाग के निरीक्षक का प्रमाण है जिसमें यह अंकित है कि मंदिर श्री गोपाल जी मोहल्ला बरनापाडा रेतवाली में स्थित है और और इसकी सेवा–पूजा व्यास कान्ति चन्द के द्वारा की जाती है । प्रदर्श– 32 मिलान क्षेत्रफल की नकल है । प्रदर्श– 33 नकल जमाबन्दी संवत् 2010–13 संलग्न है । प्रदर्श– 34 नकल जमाबन्दी संवत् 2022–25 है । प्रदर्श– 35 खसरा टीप की नकल है । पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय के पेश डीबी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1018/2008 जो कि रिट याचिका संख्या 5449/2001 में पेश की गई है के निर्णय दिनांक 26 मई, 2008 भी संलग्न है ।

15. प्रतिवादी की ओर से कान्ति चन्द के द्वारा पेश किया गया दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रामचन्द्र के खिलाफ पेश किया गया है और इसमें स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की है प्रदर्श– डी के रूप में पेश किया गया है । प्रदर्श– डी–2 नकल जमाबन्दी संवत् 2015–24 है जिसमें आराजी माफी मंदिर श्री गोपाल जी साकिन खेडारसूलपुर कान्ति चन्द कॉलम नम्बर 03 में दर्ज है और कॉलम नम्बर 5 में रामचन्द्र श्योलाल मीणा का नाम दर्ज है । प्रदर्श– डी–3 परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.70 की प्रति है जिसके अनुसार दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है ।

16. पत्रावली पर वादी की ओर से बयान कान्ति चन्द कराए गये हैं । वादी की ओर से बयान सुभाष चन्द पीडब्ल्यू– 1, बृजमोहन शर्मा पीडब्ल्यू–2, अर्जुनदास पीडब्ल्यू–3, विजय दत्त पीडब्ल्यू– 4, शिवचरन पीडब्ल्यू– 5 कराये गये हैं ।

17. प्रतिवादी की ओर से बयान रामचन्द्र, नन्द लाल एवं श्रीलाल कराये गये हैं । प्रतिवादी की ओर से बयान लटूर लाल डीडब्ल्यू–1, भंवर सिंह डीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

18. पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श– डी–1 के रूप में व्यास कान्ति चन्द के द्वारा प्रतिवादी रामचन्द्र के खिलाफ धारा 88, 91 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सन् 1966 में पेश किये गये दावे की प्रमाणित प्रति संलग्न है । इस दावे में कान्तिचन्द ने वादग्रस्त आराजी जो कि मूर्ति मंदिर के खाते की है के लिए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । यह दावा दिनांक 16.10.1970 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है । इसके बाद मूर्ति मंदिर की ओर से बहैसियत नेक्स्ट फ्रेण्ड एवं पुजारी कान्ति चन्द ने अपीलाधीन दावा पेश किया है । जब वादग्रस्त आराजी को स्वयं अपने खाते में दर्ज करवाने

के लिए कान्तिचन्द ने प्रतिवादी के खिलाफ पूर्व में दावा पेश कर दिया था तो उसी आराजी के लिए मूर्ति मंदिर के नेक्स्ट फ्रेण्ड की हैसियत से वो दावा पेश करने का अधिकार नहीं रखते हैं क्योंकि मूर्ति मंदिर का नेक्स्ट फ्रेण्ड वो ही हो सकता है जिसके हित मूर्ति मंदिर के हितों के विपरीत न हो व जिनका मूर्ति मंदिर की सम्पत्ति में कोई हित–निहित नहीं है । इस बाबत् परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें विशेष आपत्तियों में आपत्ति संख्या 3 में इस बाबत् आपत्ति की गई थी । इस बाबत् तनकी नं0 07 कायम की गई है जो परीक्षण न्यायालय ने वादी के विरूद्ध तय की है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीर एआईआर 1967 (एससी) पेज 437 यहॉ चस्पा होती है । ऐसी स्थिति में हम मूर्ति मंदिर जो कि शाश्वत नाबालिग है के हितों की रक्षार्थ सीपीसी के आदेश 32 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण न्यायालय के द्वारा मूर्ति मंदिर के लिए नेक्स्ट फ्रेण्ड नियुक्त किया जाकर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना हम आवश्यक समझते हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.09.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सीपीसी के आदेश 32 के प्रावधानों के अनुसार मूर्ति मंदिर के लिए नेक्स्ट फ्रेण्ड नियुक्त करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । परीक्षण न्यायालय मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ राज्य सकरार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों की पालना भी सुनिश्चित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वो दिनांक 26.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/6/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा